

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा प्रथम) का कार्यालय, मध्य प्रदेश, ग्वालियर
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT-I)
MADHYA PRADESH. GWALIOR

प्रशासन-12/वि.नि.

दिनांक:09-06-2025

कार्यालय आदेश/Office Order – 43

मुख्यालय के पत्र क्र. 43/स्टाफ नियुक्ति-IV दिनांक 06-02-2025 से प्रसारित परिपत्र क्र. 07/स्टाफ नियुक्ति-IV तथा इस कार्यालय के आदेश क्र.-प्रशा-XI/स-I/फ-308/राजभाषा/का.आ./157 दिनांक 24-02-2025 के अनुपालन में हिंदी अधिकारी के पद को ग्रुप 'बी' से ग्रुप 'ए' में पुनर्वर्गीकृत करते हुए इसका पदनाम सहायक निदेशक (राजभाषा) किये जाने तथा इसकी वेतन संरचना को PB-2 (Grade Pay 4800/ Level-8) से PB-3 (Grade Pay 5400/Level-10) में उन्नत किये जाने पर निम्नलिखित अधिकारी का वेतन निर्धारण उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई तिथि एवं वेतन लेवल में उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के आधार पर निम्नानुसार किया जाता है-

In accordance with Headquarters Circular 07/स्टाफ नियुक्ति-IV circulated vide letter क्र. 43/स्टाफ नियुक्ति-I V दिनांक 06-02-2025 and this Office's Order क्र.-प्रशा-XI/स-I/फ-308/राजभाषा/का.आ./157 दिनांक 24-02-2025, upon re-designation of Post of Hindi Officer/Group 'B' to Assistant Director (Rajbhasha) /Group 'A' and upgradation of its pay structure from PB-2 (Grade Pay 4800/ Level-8) to PB-3 (Grade Pay 5400/Level-10), the pay of following officer is fixed as on the date and in the Pay level, mentioned against his name and on the basis of option exercised by him-

क्र.	नाम पदनाम एवं स्थायी क्रमांक	घटना	दिनांक	वेतन लेवल	वेतन	नियम
1.	श्री मनीष कुमार Shri Manish Kumar सहायक निदेशक (राजभाषा)	वार्षिक वेतन वृद्धि Post of Hindi Officer re- designated as Assistant Director (Rajbhasha)/Level- 10 Opted fixation from Date of next increment.	01-01-2025 06-02-2025	लेवल-8 लेवल-10	₹ 56,900 ₹ 57,800	मुख्यालय के पत्र संख्या 80/स्टाफ नियुक्ति-IV/16- 2015 के दिनांक 21-03-2025 माध्यम से प्रसारित परिपत्र संख्या 12/स्टाफ नियुक्ति- IV के दिशानिर्देशो के अनुसार FR- 23 के नीचे दिए

					GOI (6) तथा FR 22(I)(a)(2) के अनुसार
		वार्षिक वेतन वृद्धि	01-01-2026	₹ 59,500	CCS (RP) Rules 2016 के नियम 10 के तहत वेतन वृद्धि
				<u>DNI-</u> <u>01-07-</u> <u>2026</u>	

(उप-महालेखाकार/प्रशासन के आदेश से जारी)

हस्ता/-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन-12
(पेंशन एवं पे फिक्सेशन सेल)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. उपनिदेशक/लेखापरीक्षा वित्त एवं संचार, एनेक्सी, संचार भवन, बी.एस.एन.एल. कम्पाउन्ड, होशंगाबाद रोड, भोपाल।
2. भुगतान एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय प्र.म.ले. (ले. एवं हक.) प्रथम म.प्र. ग्वालियर।
3. वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/आई.टी.ए., को इस आशय के साथ प्रेषित है कि मुख्यालय के परिपत्र संख्या 183-स्टाफ हकदारी (नियम)/ए.आर./01.2022 दिनांक 01.11.2022 के द्वारा कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18/03/2015-Estt. (Pay-I) 18/03/2015 दिनांक 03.10.2022 के बिन्दु 5(ii) के अनुपालन में यह वेतन निर्धारण आदेश जारी होने के 03 माह के भीतर यदि वेतन निर्धारण में कोई विसंगति है तो इस अनुभाग को तत्काल सूचित करें।
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन-14
5. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/IS Wing को Internet/Intranet/Website संबंधी कार्य हेतु।
6. सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन-11,12,13 एवं 14
7. श्री नरेश आहूजा, स.ले.प.अ./प्रशासन-14 को Internet/Intranet संबंधी कार्य हेतु।
8. श्री मनीष कुमार, सहायक निदेशक (राजभाषा)
9. गार्ड फाइल।

हस्ता/-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन-12
(पेंशन एवं पे फिक्सेशन सेल)